न्यायालय उप खण्ड़ अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रकरण संख्या 75 / 2021

उनवान

बंशीधर वगैरह

बनाम

राजस्थान सरकार वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी 128 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.01 है, 524 रकबा 0.68 है0 522 रकबा 1.15 है0 520 रकबा 0.45 है0 226 रकबा 0.03 है0 519 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.6.2020 व 25.10.2021 के मुताबिक पत्थगढी करवाने हेतु पेश किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामकुवार पुत्र सीताराम जाट व केलाश चन्द शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान कब किया गया इसकी कोई सूचना नहीं हुई है । आपत्तिकर्ता रामकुवार को आज दिनांक 23.11.2021 को कैम्प धवली में सुना गया । प्रार्थीगण की और से श्री बंशीधर ने उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि आपत्तिकर्ता श्री रामकुवार सीमाज्ञान के समय मौके पर उपस्थित रहा है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है। आपत्तिकर्ता ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि मैं सीमाज्ञान के समय मौजूद था तथा मैने आपत्ति यूं ही कर तथा अब मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं । आपत्तिकर्ता कैलाशचन्द को भी सुना गया जिसने जाहिर किया कि मेरी भूमि लगती है जिसका सीमाज्ञान होने पर पत्थरगढी की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

P.T.O

सेमीन्या बनाम राज० सरकार/छोटद

(2)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 519 का सीमाज्ञान दिइनांक 25.10.2021 को तथा खसरा नमबर 522, 524, 520, 226, 529, 531, 530 का सीमाज्ञान दिनांक 10.6.2020 को पटवारी हल्का के द्वारा किया गया है तथा जिसमें अप्रार्थीगण के भी हस्ताक्षर है। आपत्तिकर्ता कैलाशचन्द ने जो आपत्ति की है वह मात्र यह है कि आपत्तिकर्ता की भूमि का भी सीमाज्ञान होने पर पत्थरगढी करवाई जावें । चूंकि सभी खातेदारी अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है अप्रार्थी भी अपनी भूमि की सीमाज्ञान करवाना चाहता है तथा जिसके लिए वह विधिवत प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर सीमा जानकारी कर सकता है । प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में करवाया जा चुका है तथा अब मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी श्री केलाश चन्द शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा यदि अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराना चाहे तो विधिवित नियमानुसार सीमाज्ञान करवावे अन्यथा आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.01 है, 524 रकबा 0.88 है0 522 रकबा 1.15 है0 520 रकबा 0.45 है0 226 रकबा 0.03 है0 519 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.6.2020 व 25.10.2021 के आस पडौस के खातेदारान की मौजूदगी में पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी है। फैसल कैम्प धवली में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(मन मोहन)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर